निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- 45/2018
दायरा दिनांक:- 02.07.2018
निर्णय दिनांक:-05.04.2022

उनवान

1. छोटू लाल पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी सिमली तहसील बारां
2. भेरूलाल पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी सिमली हाल निवासी सोरखंड कला तहसील अंता जिला बारां
3. हरीवल्लभ पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी शामली तहसील बारां
4. जगदीश पुत्र दुलीचंद पुत्र जानकीबाई निवासी सिमली तहसील बारां

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी थामली तहसील बारां
2. नंदकिशोर पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी थामली तहसील बारां
3. भेरू लाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी थामली तहसील बारां

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट
निर्णय दिनांक:-05-04-2022

प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सिमली तहसील बारां में वर्तमान खाता संख्या 71 के खसरा नंबर 844 रखवा 0. 31 हेक्टेयर खसरा नंबर 845 रकबा 0.22 हेक्टेयर खसरा नंबर 843 रखवा 0.25 हेक्टेयर खसरा नंबर 848 रकवा 1.63 हेक्टेयर कुल 4 किता रकवा 0.41 हेक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी गण क्रम 1 ता 3 का 15 /16 व प्रार्थी क्रम 4 का 1/16 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी गण ही अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वर्तमान में काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

दिनांक 1.07. 2018 को प्रार्थी गण उपरोक्त वर्णित आराजी पर हकाई करने के लिए गए तो प्रतिवादी गण एक राय होकर उपरोक्त वर्णित आराजी पर आए और आते ही प्रार्थी गण को हकाई करने से मना कर दिया और लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गए जबकि प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी के खातेदार कृषक हैं तथा खातेदार की हैसियत से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं प्रतिवादी गण लड़ाकू किस्म के व्यक्ति हैं और प्रार्थी गण कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर जबरन ताकत के बल से कब्जा करने पर आमादा हैं इस कारण प्रतिवादी गण को माननीय न्यायालय द्वारा पाबंद किया जाना विधि संगत व न्यायौचित होगा प्रार्थी गण ने उपरोक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 7.06.2018 को शिविर ग्राम पंचायत सिमली में उपरोक्त वर्णित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

की पैमाइश करवाने के लिए आवेदन किया जिस पर शिविर प्रभारी द्वारा हल्का पटवारी व ऑफिस कानूनगो के नाम उपरोक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाए जाने के आदेश दिए गए थे जिस पर दिनांक 12.6.2018 को हल्का पटवारी सिमली व कानूनगो मौके पर पैमाइश करने के लिए गए तो प्रार्थी गण और प्रार्थी गण क्रम दो के पुत्र सीताराम और अप्रार्थी राधेश्याम गवाहन की मौजूदगी में उपरोक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कर सीमा ज्ञान करवा दिया किंतु उसके बावजूद भी प्रतिवादी गण प्रार्थी गण को उपरोक्त वर्णित आराजी पर गैरकानूनी व अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर आमादा है जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थी गण का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है सुविधा का संतुलन हर प्रकार से प्रार्थी गण के पक्ष में है यदि प्रतिवादी गण अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो प्रार्थी गण को अपरिमित् क्षति होगी प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी क्रम दो व तीन की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी गण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम सिमली संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 71 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2072 से 2074 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सिमली नकल प्रार्थना पत्र पैमाइश बावत शिविर प्रभारी कैंप सेमली को पेश किया गया नकल पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 12.06. 2018 पटवार मंडल सिमली पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभयक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम सेमली तहसील बारां में स्थित है जो प्रार्थी गण के सामलाती खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थी गण का कब्जा काश्त चला रहा है प्रार्थी गण को विवादित आराजी है अप्रार्थी गण द्वारा हकाई जुताई नहीं करने दी तथा लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए। अप्रार्थी गण द्वारा प्रार्थी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन ताकत एवं लट्ठ के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जबकि अप्रार्थी गण का प्रार्थी गण की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थी गण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है प्रार्थी गण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक पाबंद फरमाया जावे ताकि अप्रार्थी गण, प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम सिमली तहसील बारा के खसरा नंबर 846, 849, 859 कुल 3 किता रकवा 1. 20 हेक्टेयर है प्रार्थी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त से चली आ रही है प्रार्थी गण की भूमि पर अप्रार्थी गण का कोई कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थी गण जबरन अप्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप एवं दखलअंदाजी करने के अधिकारी नहीं है प्रा[illegible] द्वारा सीमा ज्ञान दिनांक 12.6.2018 को आधार बनाकर प्रार्थी गण द्वारा [illegible] किया है सीमा ज्ञान प्रार्थी की अनुपस्थिति में किया गया है जो वास्तविक [illegible] स्थिति के विपरीत है प्रार्थी गण किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रकार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी गण सीमा ज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी गण की आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने पर अमादा है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी गण ने अपनी सीमा से बाहर प्रार्थी गण की सीमा में कभी कोई अतिक्रमण अतिचार बाधा एवं व्यवधान नहीं किया प्रार्थी गण ने मिथ्या एवं निराधार आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस **अभिभाषक उभयपक्षकारान** सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम सिमली तहसील बारां संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 71 मैं छोटू लाल भेरूलाल हरीवल्लभ पुत्र रामचंद्र हिस्सा 15/ 16 जगदीश पुत्र जानकी बाई हिस्सा 1/ 16 जाति माली सा देह की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम सिमली संवत 2072 से 2074 के अनुसार प्रार्थी गण के कब्जे काश्त में दर्ज होना पाया जाता है प्रस्तुत नकल प्रार्थना पत्र प्रार्थी गण द्वारा शिविर प्रभारी अधिकारी कैंप सिमली में प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर हल्का पटवारी कानूनगो द्वारा रिपोर्ट में बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार आदेश क्रमांक 483 दिनांक 7.6.2018 की पालना में प्रार्थी व ग्राम वासियों की मौजूदगी में खसरा नंबर 844, 845, 847, 848 की पैमाइश मुताबिक नक्शा लट्ठा करवाई गई जिस पर सीताराम हरीवल्लभ जगदीश रामप्रसाद मीणा धीरज सिंह राधेश्याम मीणा मधुसूदन विनोद आदि लोगों के हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं पैमाइश रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सेमली के खाता संख्या 71 प्रार्थी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है अप्रार्थी गण प्रार्थी गण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थी गण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी गण को अपरिमित क्षति होगी। अप्रार्थी गण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल बाद तक पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी गण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल बाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम सेमली के खसरा नंबर 844, रकवा 0.30 हेक्टेयर, खसरा नंबर 845 रकवा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नंबर 843 रकवा 0.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 848 रकवा 1.63 हेक्टेयर कुल किता चार रखवा 2.41 हेक्टेयर मैं प्रार्थी गण के शान्ति पूर्वक कब्जे काशत में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाए गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:27 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner